राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 16(1)साप्र/2/2013पार्ट जयपुर दिनांक 23.2.2017

–: आदेश :–

राजस्थान के मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के नियम 5 (1) (ए) के प्रावधानानुसार निम्न को उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास (रिक्त होने के प्रत्याशा में) उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतत्द्वारा निःशुल्क आवंटित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम माननीय मंत्री	राजकीय आवास संख्या **(रिक्त होने की प्रत्याशा में)**
1	**डॉ0 जसवंत सिंह यादव** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, कौशल, उद्यमिता, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	14, सिविल लाईन, जयपुर

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, कौशल, उद्यमिता, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1)विभाग।
11. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
12. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड प्रथम, मुख्यालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, सिविल लाईन, जयपुर।
18. अधीक्षक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधेकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,3,6) विभाग, जयपुर।
22. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. सहायक अभियंता, (चौकी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिविल लाईन, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि.
27. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/16 जयपुर, दिनांक : 23/02/2017

–: आदेश :–

श्री हितेश चन्देला, कनिष्ठ लिपिक, विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) कम–4, जयपुर महानगर, जयपुर जिनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 246/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2052 है, के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम,1958 के नियम–27 के प्रावधान के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए **"आउट ऑफ टर्न"** के आधार पर नियमानुसार किराये भुगतान की शर्त पर उनके निवास हेतु राजकीय आवस संख्या 5/21 गांधीनगर, जयपुर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 49/एम/जीएडी/17 दिनांक 16.2.2017 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट) क्रम–4, जयपुर महानगर, जयपुर
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,जयपुर शहर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौती को सुनिश्चित करावें।
6.
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
12. श्री हितेश चन्देला, कनिष्ठ लिपिक, विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम–4, जयपुर महानगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर कर इस विभाग को सूचित करावें।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव